


राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(कर अनुभाग)

अधिसूचना

जयपुर, दिनांक : नवम्बर 21, 2016

सं. एफ. 24(19)एफडी/टैक्स/2015-42 :- राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम संख्या 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. एफ. 24(19)एफडी/टैक्स/2015-42 दिनांक 20.09.2016 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण की सूचनार्थ एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है :-

राज्यपाल के आदेश से,


(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

"अधिसूचना

जयपुर, दिनांक: 20 सितम्बर, 2016

राजस्थान मनोरंजन और विज्ञापन कर अधिनियम, 1957 (1957 का अधिनियम सं. 24) की धारा 7 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, यह राय होने पर कि लोक हित में ऐसा करने के लिए युक्तियुक्त आधार विद्यमान हैं, मनोरंजन के निम्नलिखित वर्णन के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 4 के अधीन संदेय मनोरंजन कर का इसके द्वारा परिहार करती है, अर्थात् :-

क्र. सं.	तारीख और समय	स्थान	आयोजक	फिल्म का नाम
1.	01.09.2016 से 31.10.2016 पूर्वाह्न 09:00 बजे से पूर्वाह्न 11:30 (एक प्रदर्शन प्रतिदिन)	गोलछा थियेटर, जयपुर	टाइम्स एन आई ई- 'न्यूजपेपर इन एजुकेशन'	1. इंडिपेन्डेन्स डे-रिसर्जेन्स 2. एक्स मेन-अपोकेलिप्स

सिनेमा हॉल/मल्टीप्लेक्स का स्वत्वधारी कर के रूप में कोई रकम प्रभारित या संगृहीत नहीं करेगा और विद्यमान प्रवेश की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेगा।

[सं.एफ. 24(19)एफ डी/टैक्स/2015-42]

राज्यपाल के आदेश से,


ह०

(डॉ. देवराज)

संयुक्त शासन सचिव"

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को सी.डी. में साफ्ट कॉपी में संलग्न प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना का आज के असाधारण गजट में प्रकाशन करावें। यह भी लेख है कि इस आदेश की 10 प्रति इस विभाग को तथा 10 प्रति मय बिल के सीधे ही आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर को भेजें। कृपया उपलब्ध सी. डी. का मिलान संलग्न हस्ताक्षरित अधिसूचना से मिलान कर प्रकाशन करावें।
2. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री (वित्त मंत्री)
3. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व)।
7. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, जयपुर।
8. अतिरिक्त निदेशक, वित्त (कम्प्यूटर सैल) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करावें।
9. सहायक महाप्रबंधक, आर एम डी , द टाइम्स ऑफ इण्डिया - एन आई ई, 8-9, अनुपम चैम्बर्स, टोंक रोड़, जयपुर 302015
10. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव